न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई

श्री विनोद कुमार मीना आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकदमा संख्या 4/2019

अर्न्तगत धारा 136 एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक 16.8.2019

1 वेदप्रकाश शर्मा

2 पुरूषोत्तम शर्मा

3 रविन्द्र शर्मा

4 शशिकांत शर्मा

5 रामेश्वर शर्मा

6 देवकीनंदन शर्मा

7 योगेन्द्र कुमार

8 विष्णु दत्त

9 दौलत

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

2 देवीसिंह 3 हरीशंकर4 महेन्द्र भूषण 5 मदन मोहन 6 राजेश 7 विनोद 8 मनोज 9 संजीव 10 शांति 11 कमला देवी 12 विघा देवी 13 दिनेश 14 मायादेवी 15 तारा 16 तारावती 17 बंसती 18 श्रीमति 19 गोविन्द 20 मोहित 21 माया 22 फूलवती 23 ललित 24 उर्मिला 25 अंजूदेव 26 संजूदेवी 27 मैंजू 28 नीलम 29 सुशील 30 सुरेन्द्र 31 अशोक 32 शीला 33 उमाकांत 34 रमाकांत 35 पृथ्वी 36 राधादेवी 37वासू 38 निर्मला 39 मेघा 40 सरोज 41 आशादेवी 42 शांतीदेवी 43 योगेश 44 आंनद 45 शांतीदेवी 46 प्रेम 47 पुष्पा 48 कांता 49 संतोष 50 नीरज 51 रानी 52 गंगासहाय 53 गीता 54 प्रमोद 55 मीना 56 मधुकार 57 भीरती 58 आरती 59 मंजू बेवा प्रेमदत्त

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उपस्थित

ओम प्रकाश पाराशर एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 16.8.2019

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश पाराशर द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट पेश किया । जिसका संक्षेपसार इस प्रकार है। आराजी खसरा संख्या 2292 जो वाके ग्राम खांगरी मे स्थित है। खसरा संख्या 2292 रकबा 0.05 जिसका साबिक खसरा संख्या 1652 रकबा 4 विस्वा से बना है। विगत खसरा संख्या 1652 रकबा 4 विस्वा जमाबंदी 2052–2055 में उक्त सख्या की किस्म गैरमुमकिन चाह दर्ज थी। लेकिन वक्त सेटिलमेन्ट संख्या 2060 मे जमाबंदी बनाते समय सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों की गलती के कारण हाल खसरा संख्या 2292 किस्म गैरमुमकिन रास्ता गलत दर्ज कर दिया। जो काबिले दुरूस्ती है। हल्का पटवारी ने दिनांक 29.1.2019 को प्रार्थीगण को धमकी दी है कि यह या तो गैरमुमकिन रास्ता को शुद्व करवाकर मुमकिन चाह दर्ज करवा लो नही तो आपके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही करेगे। इसलिए बिना देरी किये प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना पडा। अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर हाल खसरा संख्या 2922 रकबा 0.05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता को मुताबिक जमाबंदी संख्या 2052–2055 शुद्व किया जाकर गैर मुमकिन चाह दर्ज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने हेतु साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये गये नकल जमाबन्दी 2074–2077, नकल मिलान क्षेत्रफल 2060, नकल जमाबंदी सम्वत 2060–2061, नकल जमाबंदी सम्वत 2052–2055 नकल जमाबंदी भू प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग सम्वत 2028 खांगरी पेश किये गये।

तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम खागरी में हाल की जमा वंदी मे 2074–2077 के खाता संख्या 744 में खसरा संख्या 2922 रकबा 0.05 गैर मुमकिन रास्ता पर कंगली पुत्र दौजी हिस्सा 1/4 गूंगा पुत्र दौजी 1/4 किशनलाल पुत्र नारायण 1/12 किशोरी पुत्र अन्तीराम 1/24 प्रभू पुत्र अन्तीराम 1/24 योगेन्द्र पुत्र परभाती 1/12 रघुनाथ पुत्र नारायण 1/12 रेवती पुत्र शिब्बू 1/12 रामजीलाल पुत्र अन्तीराम 1/24 द्वारिका पुत्र अन्तीराम 1/24 साकिन

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

खांगरी दर्ज रिकार्ड है। हाल आराजी खसरा संख्या 2922 रकबा 0.05 का गत खसरा संख्या 1652 रकबा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संम्वत 2060 के है। तथा खसरा संख्या 2922 रकबा 0.05 के गत खसरा 1650 रकबा 4 बिस्वा की किस्म मिसिल बन्दोबस्त सम्वत 2028 के खाता 335 के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 1652 रकबा 4 विस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज है। तथा जमा बन्दी सम्वत 2052–2055 तक खसरा संख्या 1652 रकबा 4 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज चली आ रही है।

हाल जमाबन्दी के खसरा संख्या 2922 रकबा 0.05 की किस्म गैर मुमकिन चाह के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी है। जो गलत है। इसे सही किया जाना प्रस्तावित है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र साक्ष्य के रूप में पेश दस्तावेजों एवम तहसीलदार नदबई के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन व मनन करने के बाद यह पाया कि प्रार्थी का जो प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नदबई को आदेश दिया जाता है कि खसरा सख्या 2922 रकबा 0.05 हैक्ट0 वाके ग्राम खांगरी कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता से शुद्व कर गैर मुमकिन चाह दर्ज की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

विनोद कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

Scanned by CamScanner